न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्र. /2014 निगरानी R 2760-III/14

आवेदकगण

1. फेरन यादव

2. सीताराम

3. कल्लू पुत्रगण श्री मलखान यादव

निवासीगण ग्राम दिनऊ तहसील पलेरा जिला

टीकमगढ म.प्र.

बनाम

अनावेदक

म.प्र. शासन

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 न्यायालय तहसीलदार महोदय पलेरा के प्रकरण क्र.02/ए3/13–14 में पारित आदेश दिनांक 30.6.2014 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत है :–

आवेदकगण की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्नानुसार पेश है –

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यहकि, विवादित कृषि भूमि सर्वे क्र. 539/4 रकवा 4.462 हेक्टेयर भूमि ग्राम दिनउ तहसील पलेरा जिला टीकमगढ मे स्थित है। उक्त प्रश्नाधीन भूमि आवेदकगण के भूमि स्वामी स्वत्व एवं अधिपत्य की भूमि हैं। जिस पर काविज होकर खेती करते आ रहे है। किन्तु उक्त विवादित भूमि की तरमीम राज्य ओरछा के समय से नक्शे में वर्णित है परन्तु हल्का पटवारियों द्वारा बीच बीच मे ओरछा राज्य की तरमीम विलोपित की गई । जिसमें सुधार हेतु आवेदकगण द्वारा आवेदन पत्र तहसील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । तहसील ... कार्यवाही की जा कर विधिवत राजस्व निरीक्षक का तरमीम

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–निगरानी–2760–तीन/2014 जिला–टीकमगढ़

फेरन यादव आदि विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18–03–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री लाखन सिंह धाकड़ अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार पलेरा, जिला–टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 02/ए–3/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 30–06–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला–टीकमगढ़ के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 13–05–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) सदस्य 18/3/19	